


# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

शोहनलाल विपक्षी पति  
 न मुकदमा नं० १५६ पत्रावली संख्या ५१/२० सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>19/2/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवी नं. 2                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः 23/4/25                      भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23/4/25                      को पेश हो।                      SDO मावली</p>	
<p>23/4/25                      पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।                      उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का                      बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य                      स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/                      भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश                      के क्रम में दिनांक 11/6/25 को पेश हो।                      SDO मावली</p>	
<p>11/6/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवी नं. 2 पं. 281                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः 25/6/25                      भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 25/6/25                      को पेश हो।                      SDO मावली</p>	
<p>25/6/25                      पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।                      उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का                      बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य                      स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/                      भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश                      के क्रम में दिनांक 15/7/25 को पेश हो।                      SDO मावली</p>	
<p>15/7/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवी नं. 2 पं. 281                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः 16/9/25                      भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 16/9/25                      को पेश हो।                      SDO मावली</p>	

16/9/25  
बकुलाय वादी/प्रतिवादी उप तलवी न. 2, पेज करके  
के लिये मौका चाहते है। अतः कॉन्ट्रि  
व्यस्य दिया जाकर पत्रावली दि. 5/11/25  
के पेश हो।

(SDO) नावली

पुनः पुनः 5 तम विरवले पर  
प्रतिवादी करग्या 2 के सम्पन्न ऐसी बाद तामील  
प्राप्त हुए निरन्तर आवाजे दितवाई गई।  
अनुपस्थित रहे। अतः अनुपस्थित रहने पर  
उ.र. 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रारंभ  
में लाई जाती है। पत्रावली वाक्य तलवी न. 1  
दिनांक 5/11/25 का पेश हो।

04/11/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी  
मय स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता  
वादी मय स्वयं वादी को बार - बार  
आवाजे दितवाई गई। समय साँय 5:00 PM  
हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता  
अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी  
मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का  
वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फँसल शुमार होकर नम्बर  
सौ कम हीं।

निर्णय शुद्धे न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) नावली